(2)

राजस्थान सरकार

माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर (राज.)

क्रमांक एफ–6 ( )/प्रतिभा सम्मान/टीआरआई/18–19/2239-40 दिनांक– 13-12-2018

विज्ञप्ति

संस्थान द्वारा **जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह वर्ष 2018** हेतु अनुसूचित क्षेत्र की जनजाति प्रतिभाएं जिन्होंने वर्ष 2018 में विशिष्ट उपलब्धियां अर्जित की हो, को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किये जाने के उद्देश्य से आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते है जिसकी पात्रता निम्न प्रकार से है :–

1. अभ्यार्थी अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Area) का मूल निवासी हो।
2. अभ्यार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य हो।
3. अभ्यार्थी ने निम्न क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में प्रतिभा अर्जित की हो, चयन हेतु पात्र माना जावेगा :–
   - केन्द्र/राजस्थान राज्य प्रशासनिक एवं अधिनस्थ सेवाओं में तथा राजपत्रित अधिकारी के पद पर चयनित/पदस्थापित हुआ हो।
   - केन्द्र एवं राजकीय उपक्रम की प्रतिष्ठित संस्थाओं में अधिकारी वर्ग के पद पर नियुक्त हुए हो।
   - आई.आई.टी./एम्स/पीजी (मेडिकल)/एमबीबीएस (NEET) के माध्यम से तकनीकी एवं मेडिकल परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवेश लिया हो।
   - अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर कला/संगीत/विज्ञान में अनुकरणीय कार्य किया हो।
   - अभ्यार्थी द्वारा केन्द्रीय/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12वीं में नियमित अध्ययन कर प्रथम प्रयास में 75 प्रतिशत एवं उससे अधिक अंक अर्जित किये हो।
   - अभ्यार्थी द्वारा स्नातक/स्नातकोतर परीक्षा प्रथम प्रयास में 65 प्रतिशत अंक अर्जित किये हो।
   - अभ्यार्थी द्वारा विद्यावाचस्पति उपाधि प्राप्त की हो।
   - अभ्यार्थी द्वारा सी.ए./सी.एस. पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

अनुसूचित क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :–

(1) बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ सम्पूर्ण जिलें, (2) उदयपुर जिले की कोटड़ा, झाड़ोल (तत्कालीन फलासिया), लसाड़िया, सलूम्बर, सराडा, खेरवाड़ा, ऋषभदेव, गोगुन्दा तहसीले तथा तहसील गिर्वा, मावली एवं वल्लभनगर के अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम, (3) राजसमन्द जिले की तहसील कुम्भलगढ़ एवं नाथद्वारा के अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम, (4) चित्तौड़गढ़ जिले की तहसील बड़ीसादड़ी के अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम, (5) पाली जिले की तहसील बाली के अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम, एवं (6) सिरोही जिले की तहसील आबूरोड़ एवं पिण्डवाड़ा के अनुसूचित ग्राम।

अनुसूचित जनजाति के उक्त पात्रता रखने वाले अभ्यार्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन दिनांक 31–01–2019 तक संस्थान में व्यक्तिगत अथवा डाक के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं। योजना की विस्तृत जानकारी, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अनुसूचित क्षेत्र की अधिसूचना विभागीय वेबसाईट **www.tad.rajasthan.in** & **www.triudaipur@gmail.com** पर उपलब्ध है। अंतिम दिनांक के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

निदेशक

जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह 2018 हेतु आवेदन पत्र प्रारूप

स्वयं का फोटो

1.	अभ्यार्थी का नाम	
	(अ) हिन्दी में	
	(ब) ENGLISH (CAPITAL LETTLERS)	
2.	पिता/अभिभावक का नाम	
3.	माता का नाम	
4.	स्थाई पता (मुकाम पोस्ट, तहसील एवं जिला) स्पष्ट रूप से अंकित करें।	
5.	वर्तमान पत्र व्यवहार का पता (मुकाम पोस्ट, तहसील एवं जिला) स्पष्ट रूप से अंकित करें। दूरभाष एवं मोबाईल नम्बर अंकित करावें।	
6.	अपनी जाति अंकित करे (समर्थन में स्वप्रमाणित जाति प्रमाण पत्र संलग्न करे)	
7.	मूल निवास स्थान (ग्राम, तहसील एवं जिला) स्पष्ट रूप से अंकित करें। (समर्थन में स्वप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)	
8.	अभ्यार्थी द्वारा जिस क्षेत्र में उपलब्धि/प्रतिभा अर्जित की है, उसका विवरण अंकित करें। (प्रमाण स्वरूप दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करें)	
9.	वर्तमान व्यवसाय/कार्यरत स्थान मय पूर्ण पता (राजकीय/गैर राजकीय/अध्ययनरत)	
10.	**आवेदक के बैंक खाते का विवरण** (बैंक पासबुक की फोटोप्रति संलग्न करावें) (अ) बैंक का नाम मय शाखा एवं स्थान	
	(ब) बैंक का IFCI कोड	
	(स) बैंक खाता संख्या	
11	पेन कार्ड की संख्या	

मैं सुश्री/श्री/श्रीमति..पुत्र/पुत्री..................................निवासी ग्राम.................. तहसील .... जिला............................ (राज.) शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार उपरोक्त विवरण सही एवं सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम..............................

❖ **बैंक खाता आवेदनकर्ता स्वयं का होना अनिवार्य है।**

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325] नई दिल्ली, शनिवार, मई 19, 2018/वैशाख 29, 1940
No. 325] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 19, 2018/VAISAKHA 29, 1940

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2018

सा.का.नि. 466(अ).— राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं.आ.270"

अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018

राष्ट्रपति, भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 6 के उप-पैरा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 1981 को विखंडित करते हैं और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान राज्य) आदेश, 2018 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. नीचे विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को राजस्थान राज्य के अन्दर अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में पुनः परिनिश्चित किया जाता है :—

(1) बांसवाड़ा जिला

(2) डूंगरपुर जिला

(3) प्रतापगढ़ जिला

(4) उदयपुर जिले में निम्नलिखित क्षेत्र :

(क) कोटड़ा, झाडोल (तत्कालीन फलासिया), लसाड़िया, सलूम्बर, सराड़ा, खेरवाड़ा, ऋषभदेव तथा गोगुन्दा तहसील।

(ख) गिर्वा तहसील में निम्नलिखित क्षेत्र :

(i) गिर्वा ब्लॉक

(ii) निम्नानुसार उल्लिखित बड़गांव ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :

(i) मदार ग्राम पंचायत के मदार, ब्राह्मणों की हुन्दर, राठोड़ों का गुढ़ा, चान्दरवाड़ा, थोबान फला, मोरडा खुर्द और कावलों का गुढ़ा ग्राम,

(ii) कैलाशपुरी ग्राम पंचायत के कैलाशपुरी, थया, करावड़ी, मठाला, नागदा, झालों का गुढ़ा तथा सुणवास ग्राम,

(iii) चीरवा ग्राम पंचायत के चीरवा, मोहनपुरा, शिवपुरी, भटेली का गुढ़ा तथा सारे ग्राम,

(iv) अम्बेरी ग्राम पंचायत के अम्बेरी, भीलों का बेदला, ओटे का गुढ़ा तथा प्रतापपुरा ग्राम,

(v) बीकली ग्राम पंचायत के बीकली तथा बड़ा ग्राम,

(vi) कविता ग्राम पंचायत के कविता, बरोडिया, घसियार तथा ब्राह्मणों की हुंदर ग्राम,

(vii) धार ग्राम पंचायत के गहलोतों का वास, बीयाल, कुण्डाल खेड़ा, धार, बडंगा तथा बनावदिया ग्राम,

(ग) मावली तहसील के मउवा ग्राम पंचायत के मउवा, बादरा, रावजी का गुढ़ा तथा मारूवास ग्राम

(घ) निम्नानुसार उल्लिखित वल्लभनगर तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम:

(i) माल की टूस ग्राम पंचायत में माल की टूस, सोवला, फलेट, दांक और ब्राह्मणों का टोबा ग्राम,

(ii) आमलिया ग्राम पंचायत के आमलिया, खेड़ाफला, नागलिया, रावी हूंगला और राणिया ग्राम,

(iii) मोपा खेड़ा ग्राम पंचायत के मोपा खेड़ा, बेरीपुरा, हमेरपुरा, फूसरिया और रायला ग्राम,

(iv) कुण्डई ग्राम पंचायत के कुण्डई, भमेला, गोटीपा, कांमरियों का खेड़ा, नाहरपुरा उर्फ नारपुरा, पदमा खेड़ा और संग्रामपुरा ग्राम।

(5) राजसमन्द जिले में निम्नलिखित :

(क) निम्नानुसार उल्लिखित कुम्भलगढ़ तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :

(i) आंतरी ग्राम पंचायत के आंतरी, सन्दूकों का गुढ़ा और बारा ग्राम,

(ii) कुचोली ग्राम पंचायत के कुचोली, केशर और बावड़ा ग्राम,

(iii) ओड़ा ग्राम पंचायत के ओड़ा, दोवास और कोठार ग्राम,

(iv) पीपाना ग्राम पंचायत के पीपाना, भेवारण और देलवाड़िया ग्राम,

(v) बरवड़ा ग्राम पंचायत के बरवड़ा, उथामड़, कलथाना और कोटड़ा ग्राम,

(ख) नाथद्वारा तहसील के कालीवास ग्राम पंचायत के निम्नलिखित ग्राम, अर्थात्:-

कालीवास, बडवा, बरवालिया, बोरन, कमली का गुड़ा, गमेतों का नोहरा, बामणवड़ी, कोलर, मुंजेला, सीवेरा, रायनिया, भगवती का गुड़ा, सियोल, सोनारिया और कांकेला ग्राम ।

(6) निकायानुसार उल्लिखित चित्तौड़गढ़ जिले में बड़ी सादड़ी तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :-

(क) रति चन्दजी का खेड़ा ग्राम पंचायत के आकलों का रामगढ़, सिंकोड़ा, सुल्तानपुरा, बोरखेड़ा, सेमल खेड़ा, रूपनाथपुरा, भीलखेड़ा, रती बलाई, रति चन्दजी का खेड़ा, जांदपुरा, सबलपुरा तथा मुकुन्दपुर ग्राम,

(ख) अमीरगढ़ा ग्राम पंचायत के अमीरगढ़ा, रामपुरा, पारसोली, रूपपुरा तथा मराबड़िया ग्राम,

(ग) केवलपुरा ग्राम पंचायत के केवलपुरा (छ), केवलपुरा जागीर, रामतपुरा, शिवपुरा, टेलड़ियों का फला, नया खेड़ा, रानी माल्या, काली भीत, लक्ष्मीपुरा, हरीपुरा, श्यामपुरा, जूनी बड़वास, कल्याणपुरा तथा केवलपुरा (बड़ी) ग्राम,

(घ) मूंगवा ग्राम पंचायत के मूंगवा, जयसिंहपुरा, एकलिंगपुरा, मातासगरी, टीकड़िया खेड़ी, पूजों का फलियान, पायरी, केशरपुरा, सांवरिया खेड़ी, स्वरूपपुरा, काचा खेड़ा तथा दीपों का तालाब ग्राम,

(ङ) पारसोली ग्राम पंचायत के पारसोली, बोरूण्डी, गढ़ बोरूण्डी, संग्रामपुरा, राठोड़ों का खेड़ा, खेड़ी कलां, खेड़ी खुर्द तथा मुकुंदपुरा ग्राम।

(7) निकायानुसार उल्लिखित पाली जिले में निम्नलिखित बाली तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :-

(क) आमलिया ग्राम पंचायत के आमलिया, कागवड़ा, ढंकी बेरी, लक्ष्मणपुरा जोड़ और बोथरा ग्राम,

(ख) कूरण ग्राम पंचायत के कूरण, खेतरली, कोलवाड़ा, कोटियावाड़ा, कूरणा खादरा और खेतरली खादा ग्राम,

(ग) कोरिया ग्राम पंचायत के कोरिया और कोरथा ग्राम,

(घ) भीमाना ग्राम पंचायत के भीमाना, उपला भीमाना, उणी, उरणा और नाडीया ग्राम,

(ङ) काकराड़ी ग्राम पंचायत के काकराड़ी, अरठवा, रानवरली, सांभरवाड़ा और बेरड़ी ग्राम,

(च) मालनू ग्राम पंचायत के मालनू, हीरोला और लालपुरा ग्राम,

(छ) पीपला ग्राम पंचायत का पीपला ग्राम,

(ञ) लुन्दाड़ा ग्राम पंचायत के लुन्दाड़ा, निमनपुरा और मालदर ग्राम,

(झ) कोयलापान ग्राम पंचायत के कोयलापान, सिंगटा भाटा और चोपा की नाल ग्राम।

(8) सिरोही जिले में निम्नलिखित :

(क) आबूरोड तहसील

(ख) निम्नानुसार उल्लिखित पिण्डवाड़ा तहसील की ग्राम पंचायतों के निम्नलिखित ग्राम :-

(i) वरली ग्राम पंचायत के वरली, कुण्डाल, सावेला, वागदरी, ढोला, कालुम्बरी और पिण्डवाड़ा (ग्रामीण) ग्राम,

(ii) मोरस ग्राम पंचायत के मोरस, चीनिया बन्द और भादरमेरी ग्राम,

(iii) आमली ग्राम पंचायत के आमली, ठंडी बेरी, ग्राबलवा और मालप ग्राम,

(iv) बरट ग्राम पंचायत के बरट, सालेरा, सपावास, गढ़िया और महाड़ कलां ग्राम,

(v) लोटाणा ग्राम पंचायत के लोटाणा, मापरी खेड़ा और कालाम्बोर ग्राम,

(vi) माण्डवाड़ा खालसा ग्राम पंचायत के माण्डवाड़ा खालसा, खोजरी खेड़ा और वारकी खेड़ा ग्राम,

(vii) सनवाड़ा ग्राम पंचायत के सनवाड़ा, सदा फली, नवावास देव, नवावास खालसा और सेमली ग्राम,

(viii) ईसरा ग्राम पंचायत के ईसरा, केर, उबेरा और चुरली खेड़ा ग्राम,

(ix) वालोरिया ग्राम पंचायत का वालोरिया ग्राम,

(x) माण्डवाड़ा देव ग्राम पंचायत के माण्डवाड़ा देव, पीटारी पादर, केदार पादर और बोर उमरी ग्राम,

(xi) भूला ग्राम पंचायत का भूला ग्राम,

(xii) अजपुरा ग्राम पंचायत के अजपुरा, कासीन्द्रा, तारापुरा, पंच देवल, ब्लॉक नं. 2 और कोटरा ग्राम,

(xiii) बसन्तगढ़ ग्राम पंचायत का बसन्तगढ़ ग्राम,

(xiv) सिवेरा ग्राम पंचायत के सिवेरा, राजपुरा, केशवगंज और दरला पादर ग्राम।

3. राज्यक्षेत्रीय प्रभाग, चाहे वह किसी भी नाम से उपदर्शित हो, के पूर्वगामी पैरा में किसी निर्देश का अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस आदेश के प्रारम्भ पर यथाविद्यमान उस नाम के राज्यक्षेत्रीय प्रभाग के प्रति निर्देश है।

राम नाथ कोविंद,
राष्ट्रपति।

[फा.सं.1(31)/2017-वि.1]
डॉ. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव